



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2007/ज्येष्ठ 15, 1929

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2007/JYAISTHA 15, 1929

कार्मिक, लोक शिक्वायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 जून, 2007

सा.का.नि. 415(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-खण्ड (1) और (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (ग) के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2007 है।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में 'कर्नाटक' शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“कर्नाटक

1. राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद 140

पद का नाम	पदों की सं.	तैनाती की न्यूनतम कार्यविधि
1	2	3
सरकार के मुख्य सचिव	1	—
सरकार के अपर मुख्य सचिव	1	2 वर्ष
सरकार के अपर मुख्य सचिव, सह विकास आयुक्त	1	2 वर्ष
सरकार के प्रधान सचिव	17	2 वर्ष
अध्यक्ष, कर्नाटक अपीलीय अधिकरण	1	2 वर्ष
मुख्य चुनाव अधिकारी और सरकार के पदेन प्रधान सचिव	1	2 वर्ष
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1	2 वर्ष
आवासीय आयुक्त, कर्नाटक भवन	1	2 वर्ष
महानिदेशक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण ए. टी. आई. मैसूर	1	2 वर्ष
सरकार के सचिव	19	2 वर्ष
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1	2 वर्ष
महानिरीक्षक, पंजीयन तथा स्ट्याम्प आयुक्त	1	2 वर्ष
आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	1	2 वर्ष
आयुक्त, वाटर शैड विकास विभाग और सरकार के पदेन सचिव, कृषि और उद्यान विभाग	1	2 वर्ष

(1)

1	2	3
सचिव, मालनाड क्षेत्र विकास बोर्ड	1	2 वर्ष
कार्यपालक निदेशक, कर्नाटक जल संवर्धन संघ	1	2 वर्ष
श्रमायुक्त	1	2 वर्ष
आयुक्त, पिछड़ा वर्ग	1	2 वर्ष
आयुक्त, जन अनुदेश, हुबली	1	2 वर्ष
आयुक्त, जन अनुदेश, गुलबर्ग	1	2 वर्ष
आयुक्त, समाज कल्याण	1	2 वर्ष
पर्यटन आयुक्त	1	2 वर्ष
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	1	2 वर्ष
सूचना आयुक्त और पदेन सचिव, आई टी वाई एस	1	2 वर्ष
सदस्य, कर्नाटक अपीलिय अधिकरण	1	2 वर्ष
आयुक्त, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त और भू-रिकार्ड	1	2 वर्ष
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	10	2 वर्ष
निदेशक, महिला और बाल विकास विभाग	1	2 वर्ष
सचिव, कर्नाटक लोक सेवा आयोग	1	2 वर्ष
निदेशक, क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सरकार के पदेन उप सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के पुनः पदनामित किए जाने वाले निदेशक, ग्रामीण आधारभूत संरचना और सरकार के पदेन अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, आर.डी. पी. आर.	1	2 वर्ष
अपर/संयुक्त निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	1	2 वर्ष
संयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2 वर्ष
कृषि विपणन निदेशक	1	2 वर्ष
निदेशक, एस. ई. पी. और सरकार के पदेन अपर/संयुक्त/उप सचिव, ए. डी. पी. आर.	1	2 वर्ष
निदेशक, विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा	1	2 वर्ष
निदेशक, नगर प्रशासन	1	2 वर्ष
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	1	2 वर्ष
निदेशक, प्रोजेक्ट आयोजना और निगरानी एकक और सरकार के पदेन अपर/संयुक्त/उप सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास	1	2 वर्ष

1	2	3
अपर आवासीय आयुक्त	1	2 वर्ष
अपर/संयुक्त आयुक्त, उत्पाद शुल्क निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभिकरण और सरकार के पदेन अपर/संयुक्त सचिव आर. डी. पी. आर.	1	2 वर्ष
उपायुक्त/वरिष्ठ सहायक आयुक्त/विशेष उपायुक्त/विकास आयुक्त के राजपत्रित सहायक/जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी	44	2 वर्ष
धार्मिक और धर्मार्थ एन्डोमेन्ट आयुक्त और सरकार के पदेन अपर/संयुक्त/उप सचिव, राजस्व विभाग	1	2 वर्ष
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से		56
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से		35
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से		5
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से		23
6. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)		78
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)		181
कुल प्राधिकृत संख्या		259 <sup>h</sup>

[फा. सं.-11031/04/1998-अ. भा. से.-II]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

**टिप्पणी:** मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की ए. आर. ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में ये कर्नाटक संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सं. सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के अंतर्गत संशोधित किए गए थे :-

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	377(अ)	26-8-74
2.	1349	21-12-74
3.	228	22-2-75
4.	292(अ)	23-5-75
5.	7(अ)	1-1-76
6.	25(अ)	17-1-76
7.	821(अ)	27-9-76
8.	23(अ)	30-1-80

1	2	3
9.	219(अ)	21-4-80
10.	46(अ)	5-2-81
11.	925	17-10-81
12.	332(अ)	15-4-83
13.	34	21-1-84
14.	1277(अ)	27-12-86
15.	89	14-2-87
16.	841	14-11-87
17.	716	1-12-90
18.	646	9-11-91
19.	193	9-5-92
20.	587	26-12-92
21.	94(अ)	11-2-94
22.	442	3-9-94
23.	319(अ)	31-3-95
24.	554	14-12-96
25.	739(अ)	31-12-97
26.	461(अ)	25-6-99
27.	381	29-10-04

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
& PENSIONS**

(Department of Personnel & Training)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2007

**G.S.R. 415(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of Sub-clauses (1) and (2) of Rule 4 and Sub-clause (c) of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (i) These regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading 'Karnataka', and the entries occurring thereafter, the following shall be substituted, namely :—

"KARNATAKA		
1. Senior Duty Posts Under the State Government		
Name of the post	Number of Posts	Minimum tenure of posting
1	2	3
Chief Secretary to the Government	1	—
Additional Chief Secretary to the Government	1	2 years
Additional Chief Secretary to the Government-cum-Development Commissioner	1	2 years
Principal Secretary to the Govt.	17	2 years
Chairman, Karnataka Appellate Tribunal	1	2 years
Chief Electoral Officer and ex-officio Principal Secretary to Government	1	2 years
Principal Secretary to Chief Minister	1	2 years
Resident Commissioner, Karnataka Bhavan	1	2 years
Director General of Administrative Reforms & Training, ATI, Mysore	1	2 years
Secretary to Government	19	2 years
Commissioner for Commercial Taxes	1	2 years
Inspector General of Registration & Commissioner of Stamps	1	2 years
Commissioner for Health and Family Welfare Services	1	2 years
Commissioner Watershed Development Department & E/O Secretary to Govt., Agriculture and Horticulture Deptt.	1	2 years
Secretary, Malnad Area Development Board	1	2 years
Executive Director, Karnataka Jalasamwardhana Sangha	1	2 years
Commissioner for Labour	1	2 years
Commissioner of Backward Classes	1	2 years
Commissioner for Public Instructions, Hubli	1	2 years
Commissioner for Public Instruction, Gulbarga	1	2 years
Commissioner of Social Welfare	1	2 years
Commissioner of Tourism	1	2 years
Commissioner of Employment & Training	1	2 years
Commissioner for Information & E/O Secretary, ITYS	1	2 years
Member, Karnataka Appellate Tribunal	1	2 years

1	2	3	4	5	
Commissioner, Survey, Settlement & Land Records	1	2 years	2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	56	
Addl./Joint/Deputy Secretary to Government	10	2 years	3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	35	
Director of Women & Child Development Department	1	2 years	4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	5	
Secretary, Karnataka Public Service Commission	1	2 years	5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	23	
Director of Area Development Programmes and E/O Deputy Secretary/Joint Secretary to Government, Rural Development and Panchayati Raj Department to be redesignated as Director, Rural Infrastructure & E/O AS/JS/DS to Government, RDPR.	1	2 years	6. Posts to be filled by promotion (not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 & 4 above)	78	
Addl./Joint Director, Food and Supplies	1	2 years	7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 + 2 + 3 + 4 + 5 — 6)	181	
Joint/Addl. Commissioner of Commercial Taxes	1	2 years	Total Authorised Strength	259	
Director of Agricultural Marketing	1	2 years	[F. No. 11031/04/1998-AISII(A)]		
Director SEP & E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government ADPR	1	2 years	CHAITANYA PRASAD, Director (Services)		
Director of Pre-University Education	1	2 years	Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350, dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Karnataka Cadre vide the following Nos. GSR and dates :		
Director of Municipal Administration	1	2 years	Sl. No.	No. G.S.R.	
Director, Information Technology & Biotechnology	1	2 years	1	2	
Director, Project Planning and Monitoring Unit and E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government, Rural Development and Panchayati Raj Department	1	2 years	3	Date	
Addl. Resident Commissioner	1	2 years	1	3	
Addl./Joint Commissioner of Excise	1	2 years	1.	377(E)	26-8-74
Director, Karnataka Rural Water Supply & Sanitation	1	2 years	2.	1349	21-12-74
Agency & E/O Addl./Joint Secretary to Government, RDPR	1	2 years	3.	228	22-2-75
Deputy Commissioner/Senior Assistant Commissioner/Special Deputy Commissioner/Gazetted Assistant to Divisional Commissioner/Chief Executive Officer of Zilla Panchayat	44	2 years	4.	292(E)	23-5-75
Commissioner for Religious and Charitable Endowment & E/O Addl./Joint/Deputy Secretary to Government, Revenue Department	1	2 years	5.	7(E)	1-1-76
			6.	25(E)	17-1-76
			7.	821(E)	27-9-76
			8.	23(E)	30-1-80
			9.	219(E)	21-4-80
			10.	46(E)	5-2-81
			11.	925	17-10-81
			12.	332(E)	15-4-83
			13.	34	21-1-84
			14.	1277(E)	27-12-86
			15.	89	14-2-87
			16.	841	14-11-87
			17.	716	1-12-90
			18.	646	9-11-91
			19.	193	9-5-92
			20.	587	26-12-92
			21.	94(E)	11-2-94
			22.	442	3-9-94
			23.	319(E)	31-3-95
			24.	554	14-12-96
			25.	739(E)	31-12-97
			26.	461(E)	25-6-1999
			27.	381	29-10-2004